संख्या- 23/2016/1487 /52-2-16-2(61)/2015

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,

उ0प्र0शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

वाराणसी/ सम्भल /इटावा/औरैया/कन्नौज/कुशीनगर।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 09 नबम्बर,2016

विषयः- अल्पसंख्यक समुदाय के सार्वजनिक कब्रिस्तानों / अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी निर्माण हेतु डी0आर0डी0ए0 के पी0एल0ए0 में रक्षित वित्तीय वर्ष 2015-16 की द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी वाराणसी के पत्रांक- 892/अ0सं0क0-कब्रि0/2016-17, दिनांक 04-09-2016, जिलाधिकारी सम्भल के पत्रांक- 198/अ0सं0क0-कब्रि0/2016-17, दिनांक 04.08.2016, जिलाधिकारी औरैया के पत्रांक- 124/अ0सं0क0-कब्रि0/2016-17, दिनांक 07.10.2016 एवं सर्वे कमिश्नर वक्फ, लखनऊ के पत्र संख्या-291/व0आ0-31(88)/2016 दिनांक 28-09.2016, पत्र संख्या-306/व0आ0-31(88)/2016 दिनांक 17.10.2016 तथा पत्र संख्या-307/व0आ0-31(88)/2016 दिनांक 17.10.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक समुदाय के सार्वजनिक कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी निर्माण हेतु जनपदो की वित्तीय वर्ष 2015-16 की द्वितीय किश्त की धनराशि रु0 2316.07707 लाख (रूपये तेईस करोड सोलह लाख सात हजार सात सौ सात मात्र) जो संबंधित जनपदों के डी.आर.डी.ए. के पी.एल.ए. में रखी है, को, निम्नलिखित विवरण के अनुसार, पी.एल.ए. से अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति/सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि पी.एल.ए. में रखी धनराशि योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2015-16 की प्रथम किश्त की धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता सुनिश्चित करते हुए उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा कराये गये कार्यो की उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा गुणवत्ता से संबंधित आख्या शासन को नियमित रूप से उपलब्धे कराना सुनिश्चत करेगे ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जनपदो को अवमुक्त की जा रही धनराशि का विवरण-:

क्र0 सं0	जनपद का नाम	आवंटित कुल धनराशि(लाख रूपये में)	डी0आर0डी0ए0 के पी0एल0ए0 में जमा धनराशि धनराशि(रू0 लाख) में	डी0आर0डी0ए0 के पी0 एल0 ए0 से अवमुक्त कराये जाने हेतु प्रस्तावित धनराशि (रू0 लाख में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	वाराणसी	190.8938	95.4469	95.4469 (द्वितीय किश्त)
2	सम्भल	1000.00	500.00	500.00 (द्वितीय किश्त)
3	इटावा	39.87023	22.59581	17.27442 (द्वितीय किश्त)
4	औरैया	32.6211	9.7211	9.7211 (द्वितीय किश्त)
5	कन्नौज	3200.00	1600.00	1600.00 (द्वितीय किश्त)
6	कुशीनगर	187.2693	93.63465	93.63465 (द्वितीय किश्त)
			योग	2316.07707

(रूपये तेईस करोड सोलह लाख सात हजार सात सौ सात मात्र)

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई- 1539(1)/दस-2016, दिनांक 03.11. 2016 मे प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)

सचिव

संख्या- 23 /2016/1487 (1)/52-2-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सर्वे आयुक्त, वक्फ, उ0प्र0, लखनऊ।
2- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, सी. एण्ड डी.एस., उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5- मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी/ सम्भल /इटावा/औरैया/कन्नौज/कुशीनगर।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, वाराणसी/ सम्भल /इटावा/औरैया/कन्नौज/कुशीनगर।
7- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, वाराणसी/ सम्भल /इटावा/औरैया/कन्नौज/कुशीनगर।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
9- गार्ड फाइल

आज्ञा से

(डा0 अरविन्द कुमार चौरसिया)

विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in